Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **प्रतापगढ़ में सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (राजस्थान लेखा सेवा) 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *27 जुलाई, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बांसवाड़ा इकाई द्वारा आज प्रतापगढ़ में कार्यवाही करते हुये भगवान सहाय मीना अतिरिक्त कोषाधिकारी (राजस्थान लेखा सेवा) कोष कार्यालय प्रतापगढ़ कार्यवाहक सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला प्रतापगढ़ को परिवादी से 10 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बांसवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि विभागीय नोटिस को फाइल करने एवं सैलेरी नहीं रोकने की एवज में भगवान सहाय मीना अतिरिक्त कोषाधिकारी (राजस्थान लेखा सेवा) कोष कार्यालय प्रतापगढ़ कार्यवाहक सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला प्रतापगढ द्वारा 10 **हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी बांसवाड़ा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री माधोसिंह** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा प्रतापगढ़ में ट्रेप कार्यवाही करते हुए भगवान सहाय मीना पुत्र श्री लालाराम मीना निवासी मकान नं0 97, मंगलविहार, जामडोली, पुलिस थाना कानोता, जयपुर हाल अतिरिक्त कोषाधिकारी (राजस्थान लेखा सेवा) कोष कार्यालय प्रतापगढ़ कार्यवाहक सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला प्रतापगढको परिवादी से 10 **हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।